

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

जिला जल

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

जगदीश चन्द

बनाम

श्रीमल

कस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 308/2025

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/6/25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती जगदीश चन्द

पिता श्री हीरा लाल पौरवाल

निवासी- चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

गिल्लण्ड स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....

3270 3276, 3277 (खाल 876) 3275 (खाल 878)  
0.10 0.42 0.65 0.64

कुल कीता 3+1=4 कुल रकबा 1.81 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम गिल्लण्ड स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 3270, 3276, 3277, 3275  
0.10 0.42 0.65 0.64

कुल कीता 04 रकबा 1.81 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 रुपये अक्षरे एन एन एन प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(सि.के.एस.)  
जिला जल  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)